राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4298/2022

कमलेश कुमार शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (संस्कृत), सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (संस्कृत) अजमेर संभाग, अजमेर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दखिया, टोंक।
5. हरीश गुप्ता, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लसाडिया, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.09.2022
आदेश की दिनांक : 18.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : डॉ0 देवेन्द्र कुमार, अभिभाषक

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दखिया, टोंक से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लसाडिया, अजमेर 180 कि.मी. दूर निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान समंजित (Accommodate) करने के आशय से बिना प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ॰ अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित अवधारणा के विपरीत है। अपीलार्थी को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय किया गया है, जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को यात्रा भत्ता एवं योगकाल नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर किया गया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण हेतु कोई अनुरोध नहीं किया गया। अपीलार्थी के दोनों पैरों के घुटनों की प्रत्यारोपण सर्जरी वर्ष 2018 में हुई है तथा अभी भी परेशानी है तथा विशेष सावधानी तथा देखभाल उपचार की आवश्यकता पडती रहती है (अनुलग्नक–2)। वर्तमान में संस्कृत अध्यापक का पद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गैरोली, घाड, कडिला, टोंक में रिक्त है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.08.2022

(अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन उपरोक्त में से किसी भी विद्यालय में पदस्थापित करने का अनुरोध किया गया था परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दखिया, टोंक में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की दोनों पैरों के घुटनों की प्रत्यारोपण सर्जरी वर्ष 2018 में सम्पन्न हुई तथा काफी परेशानी, देखभाल एवं उपचार की आवश्यकता रहती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभी तक निस्तारित नहीं किया गया है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)